केंद्रीय मंत्री बोले- मोदी तुष्टिकरण नहीं,संतुष्टिकरण पर बल देते हैं

कहा- वन नेशन वन इलेक्शन को कुछ राजनीतिक दल संघवाद के खिलाफ मानते

जयपुर, 15 मार्च (का.सं.)। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसे संघवाद के खिलाफ मानते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, तब क्या संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं था? उस समय चुनाव हुए, तब कोई समस्या नहीं थी। अब मोदी जी इसमें सुधार कर रहे हैं, इसे चुनाव सुधार क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

उन्होंने कहा- 1983 से यह सिलसिला टूट गया था, इसलिए एक साथ चुनाव जरूरी हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन, हमारी कमेटियां, नीति आयोग के ग्रुप और फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई-लेवल कमेटी ने अपनी सहमति दी। इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। मैंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, जो अभी जेपीसी के पास है। इस पर प्रमुख प्रोफेशनल्स, व्यापारी वर्ग, सीए, डॉक्टर्स एसोसिएशन और नागरिक संगठनों से चर्चा हो रही है। हम समर्थन जुटाने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि यह देशहित में है। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों ठेके में 4% आरक्षण देने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा- कुछ दल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुष्टिकरण के बजाय संतुष्टिकरण पर बल देते हैं।

वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए

मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में नए लॉ बिल्डिंग (अकादमिक ब्लॉक 3) के उद्घाटन के मौके पर शामिल होने आए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यू से जुड़े कई अहम पहलू शामिल हैं।

स्कूटी सवार युवकों ने कार के शीशे तोड़े

टोलियों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पत्थर फेंके, सीसीटीवी में कैद हुए

जयपुर, 15 मार्च (का.सं.)। जयपुर में धुलंडी पर स्कूटी और बाइक सवार कुछ युवकों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। वैशाली नगर की नेमी सागर कॉलोनी में पत्थर से गाड़ी के शीशे तोड़ते युवक सीसीटीवी में भी कैद हो गए। सीसीटीवी में फुटेज कैद होने पर कार मालिक आरएस चौधरी ने पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस हैल्प लाइन पर घटना की शिकायत की।

पीड़ित आरएस चौधरी ने बताया- 14 मार्च को धुलंडी के दिन दोपहर करीब 2.56 बजे स्कूटी और बाइक सवार कुछ युवक कॉलोनी में घुसे। हुड़दंग करते हुए कार के शीशे पर पथराव कर भाग निकले। कार पर पथराव की आवाज आने पर बाहर आए। इस पर देखा की कार का शीशा टूटा हुआ है।

युवक हुड़दंग करते हुए कॉलोनी से निकले

घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चैक किया तो बाइक और स्कूटी पर सवार

कुछ युवक हुड़दंग करते हुए कॉलोनी से निकले और कार पर पथराव किया। इससे कार का शीशा टूट गया। पुलिस को घटना की जानकारी देने पर वैशाली नगर थाने से सुरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। कॉलोनी में लगे अन्य सीसीटीवी फुटेज देखने पर बदमाशों की स्कूटी के नम्बर और खुद बदमाश दिखाई दे रहे हैं।

थार सवार बदमाशों ने ACP की गाड़ी को मारी टक्कर

खुद को बचाने के लिए एसीपी डिवाइडर की तरफ भागे, बदमाश गाड़ी दौड़ा ले गए

जयपुर, 15 मार्च (का.सं.)। जयपुर में धुलंडी पर ड्यूटी के दौरान थार सवार बदमाशों ने एसीपी गांधी नगर की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद एसीपी और कॉन्स्टेबल ने अपने आप को बचाया। नाकेबंदी करवाई गई, लेकिन आरोपी भाग निकले। एसीपी के साथ मौजूद कॉन्स्टेबल की शिकायत पर कार सवार बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

सीआई गांधी नगर आशुतोष ने बताया- शुक्रवार को धुलंडी के दिन एसीपी गांधी नगर नारायण कुमार इलाके में गश्त कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे एसीपी की कार रिजर्व बैंक चौराहे के पास थी। इसी दौरान पीछे से एक थार गाड़ी आई। थार ने एसीपी की कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद

एसीपी और गाड़ी में बैठा जाप्ता लोगों को दूर करने लगे।

इस दौरान बदमाशों से खुद को बचाने के लिए एसीपी डिवाइडर की तरफ भागे। बदमाश सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर मौके से निकल गए। इस पर पुलिस अधिकारी ने कंट्रोल को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नाकेबंदी भी कराई, लेकिन कार चालकों का सुराग नहीं लगा।

आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही पुलिस

मौके पर कुछ लोगों ने कार का वीडियो बनाया। इसके आधार पर पुलिस को थार का नम्बर मिला। इस के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आरोपी कार चालकों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। एसीपी गांधी नगर नारायण कुमार ने बताया- मैं ठीक हूं। मुझे कोई चोट नहीं आई है। मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

इंदौर में होली की ड्यूटी में तैनात टीआई को आया हार्ट अटैक, हुई मौत

इंदौर, 15 मार्च (वेब वार्ता)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होली की ड्यूटी पर तैनात टीआई संजय पाठक की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि उनको सीने में दर्द हुआ था जिसके बाद बॉम्बे अस्पताल उनको ले जाया गया। यहां पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

बेटमा में संजय पाठक की ड्यूटी लगाई गई थी और संजय पाठक आईजी ऑफिस में पदस्थ थे, संजय भोपाल जिले के रहने वाले थे। **TI** संजय पाठक के अचानक निधन के बाद इंदौर के डीआरपी लाइन में होने वाला होली मिलन कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

टीआई की अचानक मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इंदौर ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत बेटमा में ड्यूटी पर तैनात कर्तव्यनिष्ठ म.प्र पुलिस निरीक्षक श्री संजय पाठक की हृदयाघात से असामयिक मृत्यु का अत्यंत ही दु:खद समाचार मिला है। मेरी गहरी शोक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। कर्तव्य निर्वहन करते हुए जनसेवा के प्रति आपका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। शोक की इस घड़ी में पूरा प्रदेश शोकाकुल परिजनों के साथ है।

यूपी के जौनपुर में होलिका दहन की रात दो पक्षों में मारपीट, इलाज के दौरान एक की मौत

जौनपुर, 15 मार्च (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के थाना जलालपुर क्षेत्र स्थित गांव रेहटी बनपुरवा में होलिका दहन की रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना 13 मार्च देर रात की है, जब दोनों पक्षों में किसी पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था।

घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 14 मार्च की शाम को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में देर रात सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अरविंद वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एसपी सिटी अरविंद शर्मा ने बताया, जलालपुर में 13 तारीख की रात को दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर लड़ाई-झगड़ा हुआ था, जिसमें सुभाष यादव को गंभीर चोट आई थी और उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस मामले में मृतक के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में तनाव का कारण बन गई है और पुलिस स्थानीय स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि होली के दिन कुछ जगहों से हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। वहीं, महाराष्ट्र के बुलढाणा में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में मारपीट की घटना सामने आई।

होली के दिन भाजपा नेता की हत्या, आरोप- जमीनी विवाद में पड़ोसी ने मारी गोली

सोनीपत, 15 मार्च (वेब वार्ता)। हरियाणा के सोनीपत जिले के जवाहरा गांव में होली के दिन (शुक्रवार) भाजपा नेता और मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना देर रात घटित हुई। बताया जा रहा है कि पुराने जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी ने उन्हें गोली मारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या का कारण एक पुरानी रंजिश थी, जिसमें पड़ोसी से जमीन को लेकर आपसी मतभेद थे। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल जवाहरा गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया कि सुरेंद्र नामक व्यक्ति को गोली लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। इसमें दो सीआईओ और एक एसएचओ मोबाइल टीम हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जवाहरा ने आरोपी और उसकी बुआ की जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर विवाद चल रहा था और हत्या की वजह यही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने नक्सली एनकाउंटर को लेकर उठाए सवाल

भोपाल, 15 मार्च (वेब वार्ता)। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछले दिनों राज्य के मंडला जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। श्री पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई अपनी पोस्ट में कहा है, मंडला जिले में हुए कथित नक्सली एनकाउंटर को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है! पुलिस ने कान्हा क्षेत्र के जिस नक्सली को मारने का दावा किया था, उसकी पहचान खटिया नारंगी गांव के हीरन सिंह के रूप में हुई है! मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि यह फर्जी एनकाउंटर है और हीरन निर्दोष है! इस घटना को लेकर क्षेत्र का आदिवासी समाज भी खासी नाराजगी व्यक्त कर रहा है! उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की गहराई और गंभीरता से जांच करवानी चाहिए और परिजन की शिकायत के सभी बिंदुओं को भी इस जांच में प्राथमिकता से शामिल किया जाना चाहिए।

आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें

एज लिमिट 70 से घटाकर 60 और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 15 मार्च (वेब वार्ता)। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर दोगुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य योजना का फायदा मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 सितंबर को हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना **(ABPMJAY)** का विस्तार करके **AB-PMJAY** वय वंदना योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो देश के सबसे गरीब 40 प्रतिशत लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है।

IN THE COURT OF THE MACT CUM XXVI ADDL.CHIEF JUDGE, CITY CIVIL COURT, AT: HYDERABAD,TELANGANA O.P.No.1097 OF 2024

Between:-
SARIKONDA ANANTHA RAJU & OTHERS ...Petitioner
A N D
TOUFIK & OTHERS ...Respndents
To
1. TOUFIK, S/O: HAKMUDDIN, AGE: 31 YEARS, OCC: DRIVER, R/O: NAUSHERA, UJINA MEWAT HR, RAMNAGAR, JODHPUR, RAJASTHAN-342001...R1
2.M/s. JH Trans Roadways, rep by it Aravali Vihar, O/o: Flat No.10/221, Tijara, Bhiwadi, Alwar, Raj Dhaulpur-328001.R.2

Whereas the above named Petitioners have filed the above O.P. against you and another for grant of compensation under the M.V. Act.

Please take notice that the above O.P. stands posted to **27-03-2025** for your appearance you are required to appeal before Hon'ble Court at 10-30 a.m. on the above date either in person or through an advocate, failing which the matter will be decided exparte.

//By order of the Court//
C. Satish Kumar Reddy, Advocate,
Plot No.36/1 # 3-125/36, Shanthinagar Colony, Uppal, Hyderabad.

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क अचल सम्पत्ति,(यों)की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
जोधपुर शाखा:– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट–17, तृतीय तल, के.पी. टावर, अपर चोपासनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, बलदेव नगर, जोधपुर राजस्थान–342003

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/JDH/0917/433922,NHL/JDH/1117/450032, बी.ओ.: जोधपुर, रणछोड़ मल पंवार/ममता देवी	23–06–2021 तक रु. 2975278.54	भौतिक कब्जा	खसरा नंबर 785, सिंध वालो का वेरा, बालोतरा, बाड़मेर, राजस्थान	रु. 2718000	रु. 271800	17.04.2025	रु. 10,000	03.04.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	18.04.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सं) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दुर्गा सिंह शेखावत संपर्क नंबर 18001208800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 16.03.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्जे की सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 के साथ पठित हैं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा जो नीचे दी गई राशि और उस पर ब्याज के लिए होगा, लागत आदि।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	मनीषा कुमारी वर्मा, शुभकरण लाखीवाल **HL**0000000058140 **LP**0000000082787	25-नवंबर-24 रुपये 813325 एवं रुपये 286300 से 07-नवंबर-24 तक	ग्राम गोकुलपुरा जयपुर-बीकानेर बाईपास, खसरा नंबर 207 प्लॉट नंबर 43, मारुति विहार आवासीय कॉलोनी, फैज नंबर 6, सीकर, राजस्थान, 332001, कुल माप 133.33 वर्ग गज, उत्तर: प्लॉट नंबर 42, दक्षिण: प्लॉट नंबर 44, पूर्व: सार्वजनिक रास्ता (रास्ता) 30-00" फीट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट नंबर 46	सांकेतिक कब्जा 11-मार्च-25 को लिया गया
2.	श्याम लाल गुर्जर, महिमा देवी गुर्जर **HL**0000000142109	11-नवंबर-24 रूपये 1545176 से 07-नवंबर-24 तक	पट्टा संख्या 30, गांव, नरसिंहपुरा ग्राम पंचातय, गिरडिया पंचायत समिति, शाहपुरा जिला, भीलवाड़ा राजस्थान, 311603, संपत्ति का क्षेत्रफल: 2700 वर्ग फुट, उत्तर: राम लाल गुर्जर, दक्षिण: सीता राम तेली, पूर्व: खुद की भूमि, पश्चिम: आम सड़क	सांकेतिक कब्जा 11-मार्च-25 को लिया गया
3.	लादू लाल सुथार, राधा देवी, भूरा लाल सुथार, रत्नी बाई, अशोक कुमार प्रजापत (गारंटर लैन नंबर **LP**0000000028497) **LP**0000000028497 **LP**0000000072087	25-नवंबर-24 रूपये 1467628 एवं रूपये 255337 से 07-नवंबर-24 तक	प्लॉट नंबर 25, नंदवाना नगर आवासीय योजना अंदर वार्ड नंबर 13, मोटा खेत, कपासन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, 312202, प्लॉट/निर्मित क्षेत्र प्रशासन 59.72 वर्ग गज। उत्तर: संपत का घर, दक्षिण: मुरुगन का घर, पूर्व: सुब्रमणि का घर, पश्चिम: पोन्नियम्मन कोइल स्ट्रीट	सांकेतिक कब्जा 11-मार्च-25 को लिया गया
4.	राजेंद्र सिंह, अंजू कंवर **HL**0000000090233 **LP**0000000090494 **LP**0000000137532	29-नवंबर-24 रु. 741213 और रु. 770443 और रु. 470374 से 27-नवंबर-24 तक	पट्टा संख्या 0218, मिसल संख्या 22/18-19, ग्राम सरसंडा, ग्राम पंचायत आंत्रोली कला पंचायत समिति डेगाना, नागौर, राजस्थान, 341514, क्षेत्रफल 2700.00 वर्ग फीट, उत्तर: श्री रतन नाथ की संपत्ति, दक्षिण: रास्ता और निकल, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: रास्ता	सांकेतिक कब्जा 12-मार्च-25 को लिया गया
5.	विष्णु कुमार, मीना देवी, फूली देवी, पूसा राम सेन **LP**0000000191293	11-नवंबर-24 रूपये 1316482 से 07-नवंबर-24 तक	पट्टा संख्या 21 और 90, ग्राम, नालोट, नवासिटी, नवा, नागौर, राजस्थान, 341519, माप 644.00 वर्ग फीट, उत्तर: श्री रमेश्वर लाल कुमावत का घर, दक्षिण: एमडीआर-46 रोड (चितावा से दांतारामगढ़), पूर्व: श्री काना राम के घर, पश्चिम: श्री रामेशवर लाल कुमावत का बाड़ा	सांकेतिक कब्जा 12-मार्च-25 को लिया गया
6.	रमजान, रिहाना, श्री/श्रीमती गफ्फार खान (गारंटर लैन नंबर **LP**00000018239) **LP**00000000018239 **LP**00000050599	22-नवंबर-24 रूपये 413187 एवं रूपये 117641 से 07-नवंबर-24 तक	खसरा नंबर 634 पट्टा नंबर 1103 ग्राम अलोद ग्राम पंचायत अलोद पंचायत समिति हिंडोली जिला बूंदी राजस्थान 323024 निर्मित क्षेत्र 630 वर्ग फुट, उत्तर: मोहम्मद पुत्र छोटे खान का घर, दक्षिण: शौकत हुसैन का घर, पूर्व: बडालिया की गली, पश्चिम: गली रास्ता	सांकेतिक कब्जा 11-मार्च-25 को लिया गया

दिनांक : 16.03.2025 — **अधिकृत अधिकारी**
स्थान : सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी — **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: – केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031.
टेलीफोन: +91 44 4564 4000 । फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लेखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी देय होगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस दिनांक	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	140061335 और 142060015	होम लोन	06.02.2025	13,24,340.26/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. धनराज सांखला 2. बसंती देवी 3. कविता धनराज

संपत्ति का पता : वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा नं. 60/2020-21, प्लॉट नं. 5, क्षेत्रफल 96 वर्ग गज, अमर नगर, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता जिला नागौर, भेरुजी का बास, जिला नागौर, राजस्थान 341510, और, **इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व:** रास्ता, **पश्चिम:** प्लॉट नं. 10 **उत्तर:** प्लॉट सं. 04, **दक्षिण:** प्लॉट सं. 06

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस दिनांक	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2.	117703592	संपत्ति पर ऋण	06.02.2025	6,74,413.96/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. घनश्याम मोहन 2. तन्नू कुमारी

संपत्ति का पता : वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा संख्या 49, बुक संख्या 138, मिसल संख्या 99/2022-23, प्लॉट क्षेत्रफल 259 वर्ग गज, ग्राम-ऊंचार्दा कलां में स्थित, ग्राम पंचायत: खाखड़की, पंचायत समिति: मेड़ता, जिला: नागौर, राजस्थान-341510, और **इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व:** स्वयं की भूमि, **पश्चिम:** आम रास्ता और निकाल, **उत्तर:** श्री उगमाराम चोयल का घर और बाड़ा, **दक्षिण:** श्री लालाराम कुमार का घर

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस दिनांक	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3.	142513908	संपत्ति पर ऋण	06.02.2025	5,95,817.44/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. मुकेश सोहन 2. सोहन लाल 3. जगदीश प्रजापत 4. श्रवण कुमार

संपत्ति का पता : वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा संख्या सहित प्लॉट. 06, पुस्तक सं. 104, प्लॉट क्षेत्र 159.44 वर्ग गज, ग्राम : भिलावास, ग्राम पंचायत: बासनी सेजा, पंचायत समिति: मेड़ता, जिला: नागौर, राजस्थान - 342902 में स्थित, **और इसकी सीमा इस प्रकार है: - पूर्व:** स्व भूमि, **पश्चिम:** रामप्रसाद का घर, **उत्तर:** स्वभूमि, **दक्षिण:** निकल और आम रास्ता

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक :16.03.2025 — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका विलय**
स्थान : नागौर — **आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ हुआ और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
भिवाड़ी शाखाः ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी–301019, राजस्थान. **उदयपुर शाखाः** मेवाड़ मोटर बिल्डिंग, 48, द्वितीय तल, तोरण बावड़ी, स्टेशन रोड, उदयपुर, राजस्थान–313001. **गुड़गांव शाखाः** एससीओ नंबर 391, सेक्टर–29, अर्बन एस्टेट, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुड़गांव–122001

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/BHI/0617/401897, बी.ओ.: भिवाड़ी, सुनीता देवी, बच्चू सिंह	06.06.2024 तक रु. 6,00,439.91	भौतिक कब्जा	101,1, टावर ई–13, बीडीआई आनंद, गांव झिवाना और खातीवास, तहसील तिजारा, जिला–अलवर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान, भारत–305001	रु. 378000	रु. 37800	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown Builder Dues
HOU/UDA/0322/975437, बी.ओ.: उदयपुर, रानी देवी, राकेश कुमार देशबंधु	08.10.2024 तक रु. 22,46,471.08	भौतिक कब्जा	प्लॉट नं.4/2, वृन्दावन नगर, मीरा कॉलोनी के पास, सेंथी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, भारत।	रु. 1912000	रु. 191200	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/BHI/0218/492517, बी.ओ.: भिवाड़ी, बहादुर सिंह, सरस्वती देवी	16.10.2024 तक रु. 5,21,677.74	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर 210, दूसरी मंजिल, टॉवर– ए, वंशिका होम्स, खसरा नंबर 18, 19, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 66, 1417/63 66 गांव– खिजुरीवास, तहसील– तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान–301019।	रु. 997000	रु. 99700	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown Builder Dues
HOU/GUR/0816/311078, बी.ओ.: गुड़गांव, विनीत बत्रा, उर्मीला बत्रा	04.09.2024 तक रु. 49,39,473.29	भौतिक कब्जा	ए2–205,2, टावर ए, डिलाइट टू स्टेटस रेजीडेंसी, खसरा नंबर–205, 206, 207, 208, 209, 679/210, ग्राम–टपुकारा, तिजारा भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, भारत–301019	रु. 1849000	रु. 184900	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown Builder Dues

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सं) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दीपक शाह, अश्वनी कुमार शर्मा, रवि कुमार, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 16–03–2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**